GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

OFFICE OF THE NAGAR PARISHAD BURHAR DISTRICT SHAHDOL M.P.

Appendix 2.10

Tender Document

For Percentage Rate only in Work Departments and other Departments similar to Works Departments (Effective from Aug 2021)

Office of the	:	**NAGAR PARISHAD BURHAR**
NIT Number and Date	:	**NIT no – 776**
Discription	:	Auction Of Shop No 8 At Ward No 06 Burhar
Probable Amount of Contract	:	**Rs 1441100/-**
Cost Of Tender Document	:	5000.00
Earnest Money	:	**36027.00**
Period Of Time	:	**30 Year**

कार्यालय नगर परिषद् बुढ़ार, जिला–शहडोल (म0प्र0)

क्र./776/न.परि./2026 बुढ़ार, दिनांक 06.05.2026

निविदा आमंत्रण (चतुर्थ निविदा)

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद् बुढ़ार के स्वामित्व की वार्ड क्रमांक 6 में पुराना कांजी हाउस की भूमि पर निर्माणाधीन शॉपिंग काम्प्लेक्स की 08 दुकानों प्रथम तल की आवंटन प्रक्रिया को म0प्र0 नगरपालिका अचल संपत्ति का अंतरण नियम 2016 एवं संशोधित नियम 2023 के प्रावधानों के अधीन 30 वर्ष के पट्टे पर किराये पर दी जानी हैं। पट्टे हेतु नीलामी की कार्यवाही के लिये नियत शर्तों एवं प्रावधानों के अंतर्गत् ऑनलाईन निविदायें आमंत्रण की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट. ***http://www.mptenders.gov.in***.*पर देखी जा सकती है।*

दुकान का स्थान	दुकान के आरक्षण की स्थिति	दुकान क्रमांक	दुकान का क्षेत्रफल **4.11 x 5.0** वर्गमीटर	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं अमानत राशि	आरक्षित मूल्य
वार्ड क्र 06 पुराना कांजी हाउस की भूमि में निर्माणाधीन दुकान	अ.जा.	**08**	20.55 वर्गमीटर	5000/36027	1441100.00

शर्तेः–

1. सभी दुकान का वार्षिक किराया ऑफर की उच्चतम राशि का 2.0 प्रतिशत होगा, जिसमें 5 वर्ष में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी, अन्य सभी कर नियमानुसार लागू रहेंगे।
2. प्रत्येक दुकान के लिये पृथक–पृथक आवेदन पत्र एवं अमानत राशि अलग–अलग ऑनलाईन जमा करनी होगी।
3. दुकानों की ई–निलामी प्रक्रिया में निकाय का नोड्यूज उपरांत ही ई–निलामी में सम्मिलित हो सकते हैं।
4. निविदा संबंधी समस्त अधिकार नगर परिषद् बुढ़ार के पास होंगे।
5. पूर्व में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थी आवेदिकों को आरक्षण का लाभ नहीं रहेगा।
6. दुकान विक्रय मूल्य की कुल राशि की 25 प्रतिशत राशि निकाय में 21 दिवस में एवं शेष 75 प्रतिशत राशि 120 दिवस में जमा करना होगा।
7. आरक्षित वर्ग की दुकानों हेतु संबंधित बोलीदार को जाति प्रमाण–पत्र डिजिटल प्रस्तुत करना होगा।
8. संविदाकार सभी नियम एवं शर्तों मान्य होने की स्थिति में ई–निविदा में सम्मिलित हो।
9. अन्य शर्तें कार्यालय नगर परिषद् बुढ़ार में अवकाश के दिन छोड़कर कार्यालयीन समय में देखी जा सकती है।
10. ई–निविदा की नीलामी की कार्यवाही हेतु दर स्वीकृत करने का अधिकार नगर परिषद् बुढ़ार का होगा।
11. निविदाकार द्वारा पट्टे की अवधि के अवसान की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा।
12. निविदाकार का कोई भी कर बकाया नहीं होना चाहिए। अन्यथा नीलामी में भाग नही ले सकेगा।
13. निविदादाता द्वारा किरायेदारी पर किसी अन्य व्यक्ति को दुकान किराये पर देने पर नगर परिषद् बुढ़ार की स्वीकृति आवश्यक है।
14. दुकान में निविदादाता द्वारा स्वयं के व्यय पर बिजली फिटिंग करानी होगी। विद्युत विभाग द्वारा संयोजन नियमानुसार प्राप्त करना होगा।
15. निविदाकार द्वारा दुकान में अवैधानिक कार्य मदिरा आदि का व्यवसाय दुकान में नही कर सकेगा और यदि ऐसा पाया गया तो तत्काल रूप से किरायेदारी निरस्त कर जमा राशि राजसात कर दुकान खाली करा ली जावेगी।
16. निविदा के संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में नगर परिषद् बुढ़ार का निर्णय अंतिम होगा जो दुकान स्वामी को मान्य होगा।

17. *मासिक किराये की राशि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अग्रिम रूप से जमा करना होगा। किराया तीन माह लगातार जमा न होने की दशा में चौथे माह की प्रथम तिथि होने पर पिछले तीन माह पर 10 प्रतिशत सरचार्ज वसूल किया जावेगा। 01 वर्ष तक किराया जमा न करने पर दुकान स्वामित्व निरस्त कर दुकान खाली करा दी जावेगी। जमा राशि राजसात करा दी जावेगी।*

18. *निविदाकार को दुकान आवंटित दुकान में स्वच्छता का ध्यान रखना होगा एवं धुंआ आदि द्वारा दुकान मलिन नहीं करेगा।*

19. *निकाय में लिखित सूचना के बाद ही आवश्यक मरम्मत एवं रखरखाव आदि का कार्य स्वयं के व्यय पर किया जावेगा।*

20. *दुकान स्वामी द्वारा किसी भी प्रकार की विस्फोटक पदार्थ या किसी अन्य पदार्थों के संग्रहण की अनुमति नही होगी जो उसकी सम्पत्ति तथा आस–पास किसी सम्पत्ति के लिये अनुरक्षित हो।*

21. *दुकान का प्रथम बार अनुबंध 10 वर्ष के लिये होगा। अनुबंध का पुनः नवीनीकरण अनुबंध की अवधि समाप्त होने के एक वर्ष पूर्व मुद्रांक शुल्क पर करना होगा।*

22. *केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा आरोपित कर/शुल्क व अन्य करों का भुगतान दुकानदार द्वारा स्वंय किया जावेगा।*

23. निविदा प्रस्तुतकर्ता को केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली के पोर्टल की बेबसाईट https://www.mptenders.gov.in में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा ।

24. अचल सपंत्ति अंतरण नियम 2016 एवं अचल सपंत्ति अंतरण नियम 2016 (संशोधन) दिनांक 04.05.2021 के सभी प्रावधान प्रभावशील होंगे।

25. केवल नगर परिषद बुढ़ार द्वारा जारी एवं ई-निविदा प्रस्ताव ही स्वीकृत किये जायेगे।

26. प्रस्तुत ई-निविदा उच्चतम दर के आधार पर स्वीकृत किया जावेगा।

27. सशर्त ई-निविदा को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

28. यदि ई-निविदा फर्म की ओर से प्रस्तुत की जाती है तो फर्म के रजिस्ट्रेशन आदि दस्तावेज एवं फर्म की ओर से अधिकृत होने का प्रमाण-पत्र अपलोड किया जायेगा।

29. यदि दुकान के अधिमूल्य (बोली राशि) हेतु दो या अधिक के उच्चतम दर एक समान राशि के प्राप्त होते हैं तो संबंधितों से संशोधित प्रस्ताव पुनः निविदा में प्राप्त कर उच्चतम प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय लिया जायेगा।

30. यदि किसी विशेष परिस्थिति के कारण उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकृत करने के स्थान पर पुनः प्रस्ताव आमंत्रित करने का निर्णय लिया जाता है, तो प्रस्ताव करने वाले की प्रतिभूति निक्षेप की राशि वापस कर दी जावेगी।

31. यदि उच्चतम ऑफर करने वाले ई-निविदाकर्ता द्वारा प्रस्ताव की राशि विहित समय के भीतर जमा नहीं की जाती है तब उच्चतम प्रस्ताव करने वाले की प्रतिभूति निक्षेप राशि अभिग्रहित (राजसात) कर ली जावेगी तदोपरांत पुनः प्रस्ताव आमंत्रित किया जावेगा।

32. सफल निविदाकार को दुकान हेतु आवश्यक विद्युत कनेक्शन मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल से तथा आवश्यकतानुसार नल कनेक्शन नगर परिषद बुढ़ार से नियमानुसार प्राप्त करना होगा तथा उसके देयकों का भुगतान करना होगा ।

33. निविदा स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बुढ़ार के पास सुरक्षित होगा।

34. किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बुढ़ार के पास सुरक्षित रहेगा इस संबंध में कोई भी दावा या वाद मान्य नहीं होगा। न्यायालयीन वाद की स्थिति में वाद का क्षेत्र बुढ़ार रहेगा।

35. दुकान नगर परिषदं बुढ़ार की परिसम्पति होगी जिस पर सफल निविदाकार को अनुबंध अनुसार उपयोग करने का अधिकार होगा।

36. नगर परिषद बुढ़ार की ओर से प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी समय-समय पर दुकान का निरीक्षण कर सकेंगे तथा शर्तों के अधीन दिये निर्देशों का पालन सफल निविदाकार को करना बंधनकारी होगा।

37. सफल निविदाकार को प्राप्त होने वाली आय पर कर सरचार्ज एवं सेवाकर का भुगतान सम्बंधित विभाग को करना होगा।

38. दुकान हेतु किये जाने वाले अनुबंध पंजीयन आदि व्ययों का वहन स्वयं सफल निविदाकार द्वारा किया जावेगा।

39. दुकान के उपयोग के अधिकार के अंतरण हेतु पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा यह अनुमति प्रचलित नियमों / स्थाई ओदश के आधार पर अधिमूल्य (बोली राशि) एवं किराया वृद्धि के साथ की जा सकेगी।

40. आरक्षित वर्ग की दुकानों के लिये ई-निविदा फार्म भरने के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी डिजिटल प्रमाण पत्र/ विकलांगता प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।

41. पर्याप्त प्रतिस्पर्धा नहीं होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

42. यदि संपत्ति को किसी प्राकृतिक आपदा या दंगाग्रस्त भीड़ या अन्य किसी दुर्घटना जो मानव नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण क्षति होती है तो इसकी हुई क्षति को सफल निविदाकार को ही वहन करना होगा। इसके लिए नगर परिषद बुढ़ार किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगी।

43. सफल निविदाकार को किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थों या किन्हीं अन्य पदार्थों के संरक्षण की अनुमति नहीं होगी जो उसकी संपत्ति तथा आसपास की संपत्तियों के लिये असुरक्षित हो।

44. सफल निविदाकार किसी ऐसी गतिविधि का क्रियान्वयन नहीं करेगा जो विधि के अनुसार अनुज्ञेय नहीं है और आसपास के रहवासियों अथवा आमजन की शांति तथा सुरक्षा को प्रभावित करती हो।

45. सफल निविदाकार को दुकान का वार्षिक भूभाटक / किराया पेशगी कार्यालय में स्वंय जाकर भुगतान करने और रसीद प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा।

46. नगर परिषद बुढ़ार के बकायादार/दिवालिया (डिफाल्टर) की निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी । नगर पालिका का निर्णय बंधनकारी होगा ।

तकनीकी :-

47. नगर परिषद बुढ़ार द्वारा अधिकृत अधिकारी / कर्मचारी द्वारा निरीक्षण किया जायेगा और निरीक्षण जो उचित नियम निर्देशों के अनुरूप दिये जायेंगे उसका पालन करना होगा।

48. दुकान पर किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधि अथवा उसका दुरूपयोग नहीं होना चाहिये।

49. दुकान के रख-रखाव की पूर्ण जिम्मेदारी सफल निविदाकार की होगी।

50. दुकान के रख-रखाव एवं सफाई का उत्तरदायित्व सफल निविदाकार का होगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उपयोग के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की प्राप्त आपत्तियों पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बुढ़ार का निर्णय अन्तिम एवं बंधनकारी होगा।

51. निर्मित दुकान की वर्तमान संरचना में कोई भी परिवर्तन परिवर्धन स्थाई एवं अस्थाई रूप से नहीं किया जायेगा, विशेष परिस्थितियों में कोई भी परिवर्तन व परिवर्धन आवश्यक होने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बुढ़ार की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकेगा।

52. सफल निविदाकार को नगर पालिका के वर्तमान नियमो अनुसार समस्त अनुमतियाँ प्राप्त करनी होगी।

53. व्यवसाय का समय प्रचलित नियमों के अनुसार रहेगा।

54. निविदाकर्ता को ई-निविदा में भाग लेने हेतु पेन कार्ड की प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा साथ ही आधार कार्ड/ वोटर आई०डी०/ ड्राईविंग लायसेंस/पासपोर्ट की स्वतः सत्यापित प्रति संलग्न की जायेगी।

55. दुकान की छत पर नगर पालिका का आधिपत्य रहेगा। जिसका उपयोग नगर पालिका द्वारा किसी भी प्रयोजन हेतु किया जा सकेगा ।

56. दुकान जिस वर्ग के लिये आरक्षित होगी उस पर आरक्षित वर्ग के सदस्य ही प्रस्ताव दे सकते है। आरक्षित वर्ग के सदस्य को आवश्यक प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति अनविार्य रूप से प्रस्ताव के साथ अपलोड करना होगा। दस्तावेजों के आभाव में उनके द्वारा प्रस्तुत आफर पर विचार नहीं किया जावेगा।

57. आरक्षित प्रवर्ग की संपत्ति उसी संवर्ग को अंतरित की जा सकेगी नामान्तरण की कार्यवाही अचल संपत्ति अंतरण नियम 2016 (संशोधन 04.05.2021) के नियम-4 के प्रावधान अनुसार की जायेगी तथा अचल संपत्ति अंतरण नियम, 2016 (संशोधन 04.05.2021) के नियम 9 क (ख) अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

58. निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का नगर परिषद द्वारा आवश्यकता होने पर परीक्षण कराया जा सकेगा एवं आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

वित्तीय :-

59. दुकान हेतु निर्धारित अधिमूल्य (बोली राशि) के लिये प्रतिभूति निक्षेप निधि निर्धारित राशि का बैंक ड्रॉफ्ट मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बुढ़ार के नाम से देय होगा। बिना प्रतिभूति निक्षेप राशि के प्राप्त हुये ई-निविदा प्रस्ताव विचार योग्य नहीं होंगे।

60. पट्टे पर अंतरित संपत्ति की निर्धारित अवधि समाप्त होने पर पट्टे की नवीनीकरण मूल पट्टा अनुबंध में जिस प्रयोजन हेतु आवंटन किया गया था उसी प्रयोजन हेतु आगामी 30 वर्षों की अवधि के लिये करने की शक्ति परिषद की होगी परन्तु ऐसा नवीनीकरण करते समय अधिमूल्य (प्रीमियम) राशि का निर्धारण आवासीय भूखण्ड/भवन हेतु प्रचलित बाजार मूल्य का 0.5 प्रतिशत अधिमूल्य (प्रीमियम) तथा वाणिज्यिक तथा औद्योगिक प्रयोजन हेतु उपयोग होने की स्थिति में प्रचलित बाजार मूल्य का 1 प्रतिशत प्रीमियम एवं भूभाटक की दर का निर्धारण मूल की भूभाटक की दर का 4 गुना अथवा प्रचलित बाजार मूल्य का 0.5 प्रतिशत जो भी कम हो निर्धारित करके किया जायेगा। पट्टे का नवीनीकरण अचल संपत्ति अंतरण नियम 2016 एवं संशोधन दिनांक 04.05.2021 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत किया जायेगा ।

61. पट्टे पर दिये गये भूखण्ड अथवा निर्मित संरचना को वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त करने हेतु पट्टेधारी को अचल संपत्ति अंतरण नियम 2016 में निर्धारित प्रारूप दो के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जा सकेगा। नगर परिषद बुढ़ार वित्तीय संस्थान के पक्ष में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे।

62. सफल निविदाकार को स्वीकृत अधिमूल्य (बोली राशि) के आधार पर 30 वर्ष की अवधि के लिए लीज अनुबंध करना होगा। इस अवधि के पश्चात आगामी वर्षों के लिए शर्तों का पालन होने की दशा में तत्समय प्रचलित नियमों के आधार पर नवीनीकरण किया जायेगा।

63. अग्रिम जमा राशि व अन्य जमा राशि निविदा प्रस्ताव को अविधिमान्य घोषित किये जाने के 90 दिनों के भीतर वापिस कर दी जायेगी किन्तु कोई ब्याज देय नहीं होगा।

64. यथास्थिति ई-निविदा प्रक्रिया समाप्त होने पर या प्रस्ताव खोले जाने के पश्चात सफल निविदाकार (उच्चतम बोली लगाने वाले) की प्रतिभूति निक्षेप राशि को छोडकर शेष सभी निविदाकारों को प्रतिभूति निक्षेप राशि निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने उपरांत वापिस कर दी जायेगी।

65. अचल संपत्ति का वार्षिक भूभाटक/किराया अचल सम्पत्ति अंतरण नियम 2016 (संशोधन) दिनांक 04.05.2021 के नियम 6 (01) (2) के अनुसार उपनियम (1) के अनुसार गणना करने पर निविदा में प्राप्त प्रीमियम राशि के मूल्य का 2.0 प्रतिशत होगा। अचल संपत्ति का पट्टा इस शर्त के अधीन होगा कि पट्टे की अवधि के दौरान देय वार्षिक / मासिक भूभाटक प्रतिवर्ष / प्रतिमाह अग्रिम में देय होगा तथा पट्टाधारी का यह दायित्व होगा कि वह निर्धारित अवधि के पूर्व उक्त राशि जमा करे। निर्धारित तिथि के पूर्व भूभाटक जमा करने में असफल रहने की दशा में 12 प्रतिशत ब्याज अधिरोपित किया जायेगा ।

66. भू-भाटक/किराये की में उल्लेखित दरों में नगर पालिका द्वारा प्रत्येक 05 वर्श में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी ।

67. अनुबंध में दर्शायी गयी शर्तो के पालन न करने की स्थिति में 30 दिवस का नोटिस दिया जायेगा और जबाब समाधान कारक नहीं होने की स्थिति में अनुबंध समाप्त करने का अधिकार मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बुढ़ार के पास सुरक्षित रहेगा ।

68. समय-समय पर नगर पालिका/शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन व जी.एस.टी. (GST) आदि करों का भुगतान पृथक से निविदाकर्ता को कराना आवश्यक होगा।

69. नगर पालिका को किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार होगा जो निविदा में भाग लेने वाले सभी निविदाकर्ता को मान्य होगा।

70. प्रकाशित विज्ञप्ति के आधार पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने की दशा में यह माना जावेगा कि निविदाकर्ता द्वारा नगर पालिका आवंटन संबंधी सभी शर्तों को स्वीकार किया जाकर ही प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

71. निविदाकार बिना जी.एस.टी. राशि को कोड करते हुए उच्चतम प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावेगा एवं उसे ही HI (Highest 1) मान्य किया जावेगा तथा सफल निविदाकार को प्रस्ताव स्वीकृति उपरांत उच्चतम अधिमूल्य (बोली राशि) राशि जी.एस.टी. की राशि सहित जमा करना अनिवार्य होगा।

72 सफल निविदाकार को निर्धारित समयावधि में उच्चतम अधिमूल्य (बोली राशि) राशि को जमा कर विधिवत अनुबंध कर दुकान कब्जा प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कब्जा दिनांक से दुकान का मासिक किराया/भू-भाटक देय होगा तथा प्रत्येक माह की 05 तारीख के पूर्व किराया जमा करना अनिवार्य होगा ।

73. सफल निविदाकार को स्वीकृत निविदा मूल्य की 25 प्रतिशत राशि निविदा स्वीकृत दिनांक से 21 दिवस में जमा की जायेगी और शेश 75 प्रतिशत राशि 120 दिवस के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा किया जावेगा। सफल निविदाकार द्वारा

निविदा मूल्य की 25 प्रतिशत राशि एवं संसूचित अवधि के अन्दर शेश राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा विक्रय या पट्टे को अनुपयुक्त घोशित कर पुनः निविदा आमंत्रित की जाएगी ।

निविदा में भाग लेने की प्रक्रिया :-

74. निविदा लिफाफा A एवं C में प्रस्तुत की जावेगी A लिफाफा A एवं C (वित्तीय बिड) ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी ।

75. लिफाफा A के अन्दर निम्नलिखित अभिलेख होगें ।

1) pay the cost of Bid Document;
ii) deposit the Earnest Money;
iii) Submit an affidavit.
iv) Reservation Category Certificate (if Required)
v) Aadhar Number/Voter ID/Driving Licence/Passport

76. लिफाफा वित्तीय बिड) केवल ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी

नोट :- दुकानों के लिए ऑनलाईन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को सर्वप्रथम अपना डिजिटल सिग्नेचर बनवाना आवश्यक होगा। उसके पश्चात् https://www.mptenders.gov.in की वेबसाईट में अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा। डिजिटल सिग्नेचर की सहायता से आई.डी. एवं पासवर्ड के माध्यम से आवेदन की वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in पर Login करेंगे। Login करने के पश्चात् Urban Administration and Development में जाकर टेण्डर सर्च कर अपनी पसंद की दुकान के लिए ऑनलाईन आवेदन क्रय कर सकते है।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद् बुढ़ार
जिला–शहडोल म0प्र0

Annexure - A
(See Clause 1,7 of Section 1-NIT)

Critical Dates

1	Document Sale Start Date	07.05.2026	10:00 AM
2	Document Download/Sale start Date	07.05.2026	10:00 AM
3	Seek Clarification Start Date		
4	Seek Clarification End Date		
5	Pre Bid Meeting Date		
6	Bid Submission Start Date	07.05.2026	10:00 AM
7	Bid Submission End Date	22.05.2026	05:30 PM
8	Bid Opening Date	25.05.2026	12:00 AM

Annexure - B
(See clause 3 of section 1-NIT)

||AFFIDAVIT||

(To be contained in Envelope A) (On Non Judicial Stamp of Rs. 200)

I/we ____who is/are _________________________ (status in the firm/ company) and competent for submissions of the affidavit On behalf of M/S____ (contractor) do solemnly affirm an oath and state that:

I/we am/are fully satisfied for the correctness of the certificates/records submitted in support of the following information in bid documents which are being submitted in response to notice inviting e-tender No. ____for_______________________

(Name of work) dated ______________________________ issued by the ___________________ (Name of the department).

I/we am/ are fully responsible for the correctness of following self-certified information/ digitally signed documents and certificates:

1. That the self-certified information /digitally signed documents given in the bid document are fully true and authentic.
2. That:
   a. Information regarding financial qualification and annual turnover, submitted online is correct.

   b. Information regarding various technical qualifications, submitted online is correct.

3. No close relative of the undersigned and our firm/company is working in the department.

Or

Following close relatives are working in the department:

Name______________ Post _________________ Present Posting___________________.

Signature with Seal of the Deponent (Bidder)

I/we, ___________________; _________________ above deponent do hereby certify that the facts mentioned in above paras 1 to 3 are correct to the best of my knowledge and belief. In the event of any information is found to be incorrect/ untrue or found violated, then without giving any prior notice, our bid shall be liable for rejection or termination of contract, without prejudice to any other rights of remedy including the forfeiture of the bid security/performance security.
Verified today_____________________ (dated) at _____________________ (place).

Signature with Seal of the Deponent (Bidder)

Signature Not Verified
Digitally signed by Saurabh Shrivastava
Date: 2026.05.06 12:44:07 IST
Location: Madhya Pradesh-MP